न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:– 226 / 18

बच्चूसिंह पुत्र स्व0 श्री जोरावर जाति गूजर निवासी ग्राम मुर्रकी तहसील बयाना भरतपुर (राज0)

— वादी

1. श्रीमती विमला पत्नी बाबूलाल जाति गूजर निवासी मुर्रकी तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज0)

— मूल प्रतिवादी

2. अतरसिंह
3. सरुप
4. कपूर
5. तिमन

पुत्रान स्व0 कमलसिंह जाति गूजर निवासी ग्राम मुर्रकी तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज0)

6. श्रीमती घमला पुत्री स्व0 कमलसिंह जाति गूजर निवासी ग्राम मुर्रकी तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज0)
7. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार महोदय तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज0)

— शोभनार्थ प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन व स्थाई निषाधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0 टी0 एक्ट
दिनांकः– 13/01/2026

निर्णय

उपस्थितिः– श्री लज्जाराम गुर्जर एड0 वादी

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट0 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि नवीन खसरा नम्बर 316 रकबा 0.37 हैक्टे0 स्थित ग्राम मुर्रकी तहसील बयाना में वादी 13/21 हिस्से का व मूल प्रतिवादनी 7/21 हिस्से की एवं शोभनार्थ प्रतिवादीगण 2 लगायत 6, 1/21 हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं संयुक्त रुप से आज तक मौके पर काबिज चले आ रहे है जिसमें एक ट्यूबवैल लगा रखा है जिसे उक्त आराजी की सिंचाई के उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। उक्त विवादित आराजी वर्णित खण्ड संख्या–1 वादपत्र का हम वादी, मूल प्रतिवादनी व शोभनार्थ प्रतिवादीगण के मध्य वाई मीट्स एण्ड वाउण्डस मौके पर कोई विभाजन नहीं हुआ है तथा उक्त आराजी अविभाजित आराजी है लेकिन अब हम खातेदारान के मध्य मौके पर वाई मीटस एण्ड वाउण्डस हिस्से अनुसार तीन कुरे बनवाकर विभाजन करवाना अति आवश्यक हो गया है वादी व शोभनार्थ प्रतिवादीगण ने मूल प्रतिवादनी से दिनांक 19.11.2018 को अपनी संयुक्त कब्जे काश्त की व सह खातेदारी की उक्त वाद ग्रस्त आराजी को मौके पर अपने–2 हिस्से अनुसार तीन कुरों में बटवारा करने के लिए व मुकाम मुर्रकी कहा तो मूल प्रतिविादनी ने वाहमी सहमति से विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया तथा वादी एवं शोभनार्थ प्रतिवादीगण को यह एलानियां धमकी दी कि मेरे पास लाठी की ताकत है, मैं अपनी मनमर्जी से इस खेत को जोतूंगी व बोऊंगी तथा तुम्हें अब शान्ति से काश्त नहीं करने दूंगी न ही उक्त ट्यूबैल से सिंचाई करने दूंगी तथा बिना बटवारे के ही इसे जल्दी से जल्दी किसी दीगर लठैत व्यक्ति को विक्रय कर दूंगी कि जिसका मूल प्रतिवादनी को कोई अधिकार नहीं है मूल प्रतिवादनी अपनी उक्त नाजायज मंशा व धमकी में सफल हो गई तो वादी को अपरमित क्षति होगी कि जिसकी पूर्ति रुपये पैसों में नहीं हो सकेगी अतः वादी को मूल प्रतिवादनी के विरुद्ध दादरसी विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

के लिए यह दावा न्यायालय श्रीमान् में पेश करना अति आवश्यक हो गया है वादी को इस वाद की विनाय मुखारागत मूल प्रतिवादनी के विरुद्ध दिनांक 19.11.2018 को उसके द्वारा आपसी सहमति से बटवारा करने से साफ इन्कारी होने पर व उक्त नाजायज धमकी देने पर व मुकाम मुर्रकी तहसील बयाना जिला भरतपुर में पैदा हुई। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 वादग्रस्त आराजी में राह खातेदार काश्तकार है एवं वह बतौर वादीगण शरीक मुकदमा नहीं हो सके है इसलिए उन्हें बतौर शोभनार्थ प्रतिवादी पक्षकार मुकदमा बनाया जा रहा है एवं प्रतिवादी संख्या–7 राजस्थान सरकार को आराजी की लैण्ड होल्डर होने के नाते फोरमल तरीके पर पक्षकार मुकदमा बनाया जा रहा है।

अन्त में वादपत्र की खण्ड संख्या–1 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 316 रकबा 0.37 हैक्टे0 ग्राम मुर्रकी तहसील बयाना जिला भरतपुर कि जिसमें वादी 13/21 हिस्से व मूल प्रतिवादनी 7/21 हिस्से व शोभनार्थ प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6, 1/21 हिस्से के खातेदार काश्तकार व काबिज है उनके हिस्से अनुसार मौके पर वादी व मूल प्रतिवादनी तथा शोभनार्थ प्रतिवादीगण के मध्य तीन कुरेजात बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बनवाये जाकर 13/21 हिस्से के कुरे पर वादी का कब्जा व दखल दिलवाया जावे व इसी प्रकार 7/21 हिस्से के कुरे पर मूल प्रतिवादनी को व 1/21 हिस्से के कुरे पर शोभनार्थ प्रतिवादीगण को अलग से कब्जा व दखल दिलवाया जावे तथा उसी के अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अलग–2 खाते कायम करवाये जावे व अलग राज लगान कायम किया जावे। मूल प्रतिवादनी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि यह उक्त विवादित आराजी के वादी के कब्जे काश्त व उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप न करें का निवेदन किया।

प्रकरण में समस्त कार्यवाही पूर्ण की जाकर, प्रकरण को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 14.08.2024 से प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बयाना से कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बाबत लिखा गया। तहसीलदार बयाना ने पत्रांक/LR/25/4525 दिनांक 23.12.2025 से प्रकरण में कुरेजात रिपोर्ट न्यायालय हाजा प्रस्तुत की।

हमने विद्वान अभिभाषक वादी को एकपक्षीय सुना। एड0 वादी ने कुरेजात रिपोर्ट पर अपनी सहमति दी, दावा वादी अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व कुरेजात रिपोर्ट पत्रांक/LR/25/4525 दिनांक 23.12.2025 का गहनता से अवलोकन किया। दावा अन्तिम डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः दावा वादी डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 316 रकबा 0.37 हैक्ट. ग्राम मुर्रकी तहसील बयाना जिला भरतपुर का पक्षकारान/खातेदारान के मध्य विभाजन तहसीलदार बयाना की कुरेजात रिपोर्ट पत्रांक/LR/25/4525 दिनांक 23.12.2025 अनुसार किया जाकर रिकार्ड में अगल किया जावे। तहसीलदार बयाना की कुरेजात रिपोर्ट पत्रांक/LR/25/4525 दिनांक 23.12.2025 निर्णय/डिक्री का जुज रहेगा। साथ ही मूल प्रतिवादिनी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी के वादी के कब्जे काश्त व उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप न करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/01/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना